



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)

(A Central University Established by Parliament by Act No. 3 of 1997)

डॉ. राजेन्द्र प्रसाद मिश्र

DR. RAJENDRA PRASAD MISHRA

कुलसचिव

REGISTRAR

दूरभाष /Phone : + 91-7152-230902

फैक्स /Fax : + 91-7152 247602

फा.सं.: 002/2009/MHRD Corr/26/2015/693

दिनांक:- 26.02.2016

कार्यालय आदेश

विश्वविद्यालय के सभी विभागाध्यक्ष/केंद्र निदेशक/विभाग प्रमुख को सूचित किया जाता है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन संख्या M.11018/15/2015-CDN, दिनांक 31.12.2015 (छायाप्रति संलग्न) की अनुपालना में भारत सरकार के अधीनस्थ उच्च शिक्षण संस्थानों में मंत्रालय या संबद्ध संस्थानों के अधिकारी जिन्हें सरकारी प्रतिनिधि के रूप में जैसे प्रबंधन बोर्ड, शासक मंडल, कार्य परिषद, वित्त समिति इत्यादि में नामित किया जाता है, को बैठक भत्ता नहीं दिया जाए। चूंकि नामित अधिकारी ऐसी बैठकों में आधिकारिक रूप में सरकार द्वारा नामित/सचिव द्वारा नामित या पदेन अधिकारी होते हैं। ऐसे में दैनंदिन कार्यालयीन कार्यों के लिए बैठक भत्ता दिया जाना उचित नहीं है।

अतः उपरोक्त के आलोक में उच्च शिक्षण संस्थानों के अंतर्गत आनेवाले सभी प्रशासनिक संस्थानों के कर्मचारियों को किसी भी प्रकार का बैठक भत्ता न दिया जाए।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया जाता है।

(राजेंद्र प्रसाद मिश्र)

प्रतिलिपि:

1. सभी विभागाध्यक्ष/केंद्र निदेशक/विभाग प्रमुख को वेबसाइट के माध्यम से।
2. प्रभारी: लीला विभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध के साथ।